(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–818–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–02–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–336/अपील/2012–13

.....

1. कमला प्रसाद मिश्र तनय रामकुशल मिश्र
2. सुखलाल प्रसाद मिश्र तनय रामकुशल मिश्र
3. केशव प्रसाद मिश्र तनय रामकुशल मिश्र
4. कमलेश्वर प्रसार मिश्र तनय रामकुशल मिश्र
5. रामकुशल मिश्र तनय स्व.रामसुन्दर मिश्र
   सभी निवासी–ग्राम भमरा तहसील सेमरिया
   जिला रीवा म0प्र0

————आवेदकगण

विरूद्ध

1. गोपिका प्रसाद तनय रामकुशल मिश्रा
2. चन्द्रिका प्रसाद तनय रामकुशल मिश्र
   दोनों निवासी–ग्राम भमरा तहसील सेमरिया
   जिला रीवा म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २9 जून 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 10–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक कमांक 1 ने ग्राम भमरा पटवारी हल्का भमरा तहसील सेमरिया स्थित आराजी कमांक

344/3 रकबा 0.28 एकड़ में से अंश रकबा 0.20 एकड़ के बटवारा नामांतरण हेतु संहिता की धारा 178/110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार सेमरिया को प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक 7–5–2012 के द्वारा आवेदक कमांक 1 का प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नामांतरण स्वीकृत किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 गोपिका प्रसाद ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24–11–12 के द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को उचित मानते हुये अपील सारहीन होने से निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 10–2–14 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आराजी कमांक 344/3 रकबवा 0.28 ए0 में से अंश रकवा 0.20 ए0 कमला प्रसाद को आपसी बटवारे में प्राप्त हिस्सा प्राप्त हुआ था तथा वह उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहा है। सभी भाईयों एवं पिता की ओर से सहमति स्वरूप शपथ पत्र संपादित कर लेख किया गया था कि उक्त भूमि पर कमला प्रसाद अपना नामा नामांतरण करा लेंवे जिसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सभी भाईयों एवं पिता की ओर से सहमति के आधार पर ही आवेदक कमलाप्रसाद ने बटवारा नामांतरण आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था। तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर तथा अनावेदक की आपत्ति का भी निराकरण करने के उपरांत आवेदक के पक्ष में बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उचित पाया। अपर आयुक्त ने मात्र इस

आधार पर कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा शपथपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत कर बटवारा नामांतरण करा लिया जबकि उसकी मूल प्रति उपलब्ध करानी चाहिए थी उचित नहीं है। यह भी तर्क दिया कि साक्ष्य अधिनियम में शपथ पत्र के संबंध में परिक्षण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यदि न्यायालय में साक्ष्य होते हैं तो उनका प्रतिपरीक्षण किया जा सकता है, परन्तु इस प्रकरण में सहमति स्वरूप शपथ पत्र के आधार पर बटवारा नामांतरण चाहा गया था, जिसपर पिता सहित सभी भाई सहमत भी थे। अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार द्वारा विधिसंगत प्रकिया को अपना किये गये आदेश को गलत मानने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में मूल शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी, अब इस न्यायालय में मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मूल प्रति के बिना विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा नामांतरण के आदेश देने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक की स्वअर्जित भूमि थी जिसको पैत्रिक भूमि मानकर तहसीलदार द्वारा बटावारा नामांतरण करने में त्रटि की है। शपथ पत्र को साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया गया तथा उन साक्षियों का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया, जिसके कारण तहसीलदार का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता। तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया अपना कर बटवारा नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जिसे अपर आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। यह अभिलिखित तथ्य है कि पटवारी हल्का भमरा तहसील सेमरिया स्थित आराजी

कमांक 344/3 रकबा 0.28 एकड़ भूमि की भूमिस्वामी पार्वती पत्नी रामकुशल थी जिसकी मृत्यु दिनांक 14–4–2007 को होने के बाद रामकुशल तथा उनके पुत्रों के नाम नामांतरण हुआ। दिनांक 16–3–09 एवं दिनांक 17–4–08 के द्वारा रामकुशल एवं आवेदक कमलाप्रसाद के भाईयों द्वारा शपथपत्र/सहमति पत्र संपादित कर आराजी कमांक 344/3 रकबा 0.28 एकड़ के अंश भाग 0.20 एकड़ पर नामांतरण कराने के अधिकार आवेदक कमलाप्रसाद को प्रदान किये। इसी शपथपत्र के आधार पर आवेदक कमलाप्रसाद द्वारा तहसीलदार के समक्ष बटवारा नामांतरण आवेदन संहिता की धारा 178/110 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के अभिलेख में लगे पंचनामा एवं पटवारी रिकार्ड के अनुसार भी आवेदक कमलाप्रसाद प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बनाकर काबिज होने का लेख किया है। जहां तक अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष कि तहसीलदार द्वारा फोटो प्रति के आधर पर सहमति मानकर तथा फोटोप्रति का विनिश्चय करने हेतु साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया, उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मूल दस्तावेज अल्प समय तक न्यायालय में प्रस्तुत कर उनके स्थान पर फोटोप्रति ही अभिलेख में संलग्न कर दी जाती है। जहां तक मूल प्रति की फोटोप्रति का प्रश्न है इस न्यायालय में मूल शपथपत्र प्रस्तुत कर उक्त बिन्दु का निराकरण हो चुका है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र के फर्जी अथवा कूटरचित होने संबंधी तर्क नहीं किये जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह शपथ पत्र शंकास्पद नहीं है। जहां तक फोटोप्रति को साक्ष्य एवं उसके प्रतिपरीक्षण का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा सहमति स्वरूप दिये गये शपथ पत्र के आधार पर पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामा तैयार कराया गया जिसमें प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को काबिज पाया। जहां तक अनावेदक के द्वारा उठाये गये तर्कों का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा अनावेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण कर बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया था जिसको

प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में विधिसंगत पाया। अपर आयुक्त द्वारा तकनिकी आधारों पर अपील स्वीकार कर बटवारा नामांतरण आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता की है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश 10–2–14 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सेमरिया का आदेश दिनांक 07–5–12 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित 24–11–12 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,